

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मी स्व० शिव शंकर प्रसाद को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2003" सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (संशोधन) नियमावली-2006 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली तथा बिहार कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-5152 दिनांक- 21.05.2013 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-(5) में अंकित देय तिथि से पे बैंड-9300-34800/- ग्रेड पे0-4800/- में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	कर्मी का नाम/वर्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	आ०नि० संवर्ग में 20 वर्ष पूर्ण होने की तिथि/द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (अनुमान्य ग्रे०पे०)
1	2	3	4	5
1	स्व० शिव शंकर प्रसाद, भूतपूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर मोतिहारी	01.03.1956 मृत्यु की तिथि- 14.01.2016	01.09.1986 अंचल निरीक्षक- सह- कानूनगो	01.09.2006 01.01.2009 (ग्रे०पे०-4800)

02. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त देय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय उन्नयन का मिलान संबंधित कर्मी के सेवापुस्तिका से करने के पश्चात् ही अनुमान्य आर्थिक लाभ का भुगतान किया जाए। त्रुटि परिलक्षित होने की स्थिति में अनुशंसा के साथ विभाग को प्रतिवेदित की जाए एवं एतद् संबंधी आदेश के फलस्वरूप यदि अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो इसकी वसूली संबंधित कर्मी से एक मुश्त की जाए।

(स्वीच कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०3-(प्र०0)-०4/2014(पार्ट-1) 4003 खाद्य/पटना, दिनांक - 17/07/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव कोषांग/निदेशक-सह-विशेष सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी/संबंधित सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-08 एवं 05, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र०3-(प्र०0)-०4/2014(पार्ट-1) 4003 खाद्य/पटना, दिनांक - 17/07/2026
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।